

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प.12(07) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक: 28-10-2026

समस्त लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक,
अतिरिक्त लोक अभियोजक,
राजस्थान.....

—:परिपत्र:-

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20.05.26 की निरंतरता में परिपत्र दिनांक 18.11.2025 से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर के द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 13921/2025 जयेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार विशिष्ट न्यायालय पोक्सो प्रकरण एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय (महिला उत्पीड़न) इत्यादि में बालकों और महिलाओं से संबंधित गंभीर एवं जघन्य अपराधों के प्रकरणों के विचारण, जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवायी और विचारण के अन्य विभिन्न स्तरों पर पीड़ित/शिकायतकर्ता को सुनवायी नोटिसों की सम्यक तामील करवायी जाकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवायी जाने के निर्देश प्रसारित किये गये थे।

उक्त प्रकरण में दिए गए निर्देशों के क्रम में पुनः निम्न निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि—

1. न्यायालय में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान संवेदनशील वातावरण बनाए रखा जाए तथा उनकी गरिमा एवं गोपनीयता का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
2. पीड़ित/साक्षी के बयान दर्ज करते समय अनावश्यक एवं अपमानजनक प्रश्न पूछने से बचा जाए तथा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए।
3. यौन अपराधों एवं बच्चों से संबंधित मामलों में निर्धारित दिशा-निर्देशों, विधिक प्रावधानों एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों का कड़ाई से पालन किया जाए।
4. न्यायालय परिसर में महिला एवं बाल हितैषी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए तथा आवश्यकतानुसार परामर्श एवं सहायता प्रदान की जाए।
5. प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समुचित समन्वय स्थापित किया जाए।
6. न्यायालयीय समन, नोटिस एवं अन्य प्रक्रियाओं की तामील यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे ईमेल, एसएमएस अथवा अन्य अधिकृत डिजिटल माध्यमों के द्वारा भी कराई जाए, जैसा कि Rajasthan Electronic Processes (Issuance, Service and Execution) Rules, 2024 में प्रावधानित है।
7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील किए गए समन/नोटिस की डिलीवरी रिपोर्ट, स्क्रीनशॉट, ईमेल ट्रैकिंग रिपोर्ट अथवा अन्य डिजिटल प्रमाण अभिलेख पर सुरक्षित रखे जाएँ एवं आवश्यकतानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँ।

8. पीडित/शिकायतकर्ता या उसके निकट सम्बन्धी और अधिवक्ता के मोबाईल नम्बर प्राप्त करने के प्रयास कर उपलब्ध नम्बरों पर भी सुनवायी नोटिसों की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जावे।
9. संबंधित न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक तामील हेतु पक्षकारों के मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी एवं अन्य डिजिटल विवरण यथासंभव अभिलेख पर उपलब्ध कराए जाएं।
10. जहाँ सम्भव हो, समन की भौतिक तामील के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक तामील भी समानांतर रूप से कराई जाए ताकि प्रकरणों में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।
11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हुए न्यायालयीय कार्यवाही को अधिक सुगम, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाया जाए।
12. आवश्यकता पड़ने पर Vulnerable Witness Deposition Centres (VWDCs) का उपयोग किया जाए, जिससे संवेदनशील गवाह सुरक्षित वातावरण में अपने बयान दे सके।
13. गोपनीयता, सुरक्षा और पीडित के व्यक्तिगत डेटा के प्रकटीकरण को सीमित करना और संचार की गोपनीयता सुनिश्चित की जावे।
14. न्यायालयों में पत्रावली प्रस्तुत करने से पूर्व परिपत्र के क्रम में चैक लिस्ट बनायी जाकर उक्त की पूर्ति उपरान्त ही पत्रावली प्रस्तुत कराने के निर्देश की पालना समस्त हितधारकों (Stakeholders) द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावें।
उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
4. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सह उप निदेशक, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(प्रमोद कुमार मलिक)
शासन सचिव, विधि